क्रमांक 3103-2 जी0एस0-70/10061

प्रेषक

मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

सेवा में,

1. सभी विभागाध्यक्ष, आयुक्त अम्बाला मण्डल, राज्य के सभी उपायुक्त तथा उप-मण्डल अधिकारी,

2. रजिस्ट्रार पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय तथा सभी जिला व सत्र न्यायाधीश ,

दिनांक 29-4-1970

विषय :--उत्कृष्ट कार्य करते के लिये कर्मचारियों को प्रोत्साहन देना ।

श्रीमान् जी,

आप का ध्यान सरकार के परिपत्र क्र0 5678-2 जी०एस०-68/32776, दिनांक 23 दिसम्बर, 1968 तथा 4163-2; जी0एस0-69/18043, दिनांक 23 जुलाई, 1969 उपरोक्त विषय पर, की ओर दिलाया जाता है । इन हिदायतों के मुताबिक सराहना पत्र जारी होने पर उस महीने को आमदनी का 10 प्रतिशत इनाम के तौर पर दिया जाता है जिस महीने कर्मचारी को सराहना पत्र जारी किया हो सरकार अब यह महसूस करती है कि इनाम तय करने का यह तरीका ठीक नहीं है क्योंकि इस के अनुसार सराहना पत्र जल्दी या देरी से जारी करने में इनाम की राशि में फर्क आ सकता है जो कि तर्क विरुद्ध है । विचार करने के बाद सरकार ने यह निर्णय किया है कि आगे से जिस वर्ष की गोपनीय रिपोर्ट के आधार पर सराहना पत्र मिले/जारी किया जाए उसी वर्ष के अंतिम मास, यानि मार्च मास का कुल आमदनी का 10 प्रतिशत उस कर्मचारी को दिया जाये । उदाहरण के तौर पर यदि सराहना पत्र 1969-70 की रिपोर्ट के आधार पर जारी हो तो मार्च, 1970 के वेतन की 10 प्रतिशत राशि इनाम में दी जायेगी ।

2. सरकार का उपरोक्त अनुदेश सभी संबंधित अधिकारियों के नोटिस में लाया जाये ।

भवदीय,

(हस्ताक्षर)

उप सचिव, राजनैतिक तथा सेवाएं,

कृते : मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।